

164

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3909/51/10/छ:/विविध/महराजगंज/12-13, दिनांक 13 जनवरी, 2015 व संख्या-1052/51/10/छ:/विविध/महराजगंज/2012-13, दिनांक 15.06.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में जनपद-महराजगंज की न0पा0प0 महराजगंज की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 16 परियोजनाओं हेतु कुल ₹0 270.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित ₹0 135.08 लाख (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री नौया शर्मा

9/7/15


10/7/15

क्रमशः.....2

147/7c

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में बि जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्य की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।


16. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-607/2015/1604(1)/69-1-2015, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0.20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, ऊतवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महाराजगंज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0 लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गाई फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	महाराजगंज	न0पा0परि0 महाराजगंज	वार्ड नं0-08 के राजीव नगर में श्री टिकु दुबे के मकान से श्री दीनानाथ मिश्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.09	19.545
2.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-14 लोहिया नगर में श्री वकील अंसारी के मकान से श्री किशोर प्रजापति के मकान होते हुए पूरब दिशा में स्थित इण्टरलाकिंग सड़क तथा इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.18	12.59
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-14 लोहिया नगर में रामाधार कन्या स्कूल के पास श्री गुरारी और श्री नन्हें खान के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.83	6.915
4.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के आजाद नगर में श्री राजेश प्रसाद एडवोकेट के घर से श्री विन्देश कर्नौजिया के घर होते हुए नहर पटरी तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.46	8.23
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 आजाद नगर में श्री फौजदार हरिजन के मकान से श्री ओम प्रकाश, बिन्दुबाला के मकान होते हुए चिउरहा रोड तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	22.22	11.11
6.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के आजाद नगर में श्री सोलहू हरिजन के मकान से श्री पारस विश्वकर्मा के मकान होते हुए श्री राम कयास प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	15.27	7.635
7.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के आजाद नगर में श्री जय नारायन कर्नौजिया के मकान से श्री मौजी मास्टर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	23.58	11.79
8.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-8 के राजीव नगर में नहर से श्री दीनानाथ के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.70	2.85
9.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-8 के राजीव नगर में श्री चहकू के मकान से श्री पटेल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.10	3.05
10.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-8 के राजीव नगर में श्री द्वारिका गुप्ता के मकान से श्री सभासद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली	12.21	6.105

			निर्माण कार्य।		
11.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-8 के राजीव नगर में श्री गुलाब चन्द्र पटेल के मकान से नहर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.00	5.50
12.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-08 राजीव नगर में श्री सभासद के मकान से श्री शिव मूरत के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	33.74	16.87
13.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-08 राजीव नगर में श्री परशुराम साहनी के मकान से श्री हरिराम गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.54	1.77
14.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-09 सुभाष नगर एवं वार्ड नं0-10 के इन्दिरा नगर में श्री कलनाथ के मकान से झुमवा शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य ।	13.79	6.895
15.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-08 राजीव नगर में फरेन्दा पिच रोड (उद्योग चौक) से श्री जटाशंकर के मकान होते हुए चिउरहा नहर पिच रोड तक नाली निर्माण कार्य।	18.07	9.035
16.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-08 राजीव नगर में श्री ललिता के मकान से श्री राधेश्याम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.38	5.19
	योग			270.16	135.08

(रूपये एक करोड़ पैंतीस लाख आठ हजार मात्र)।

hpsk
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।